



सत्यमेव जयते

भारत सरकार,  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

टेलि: 022-28294799 / 28294700 फैक्स: 022-28291754,

ई-मेल : [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in)

\*\*\*\*\*

फा.सं.सीपज़/पॉलिसी/62/2011-12/

दिनांक: 01.5.2016

### सार्वजनिक सूचना संख्या 121/2016

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ द्वारा जारी दिनांक 17.5.2013 की सार्वजनिक सूचना संख्या 11/2013 को अधिक्रांत करते हुए तथा प्रक्रिया पुस्तिका (2016-2020) के चैप्टर 4 के अंतर्गत पैरा 4.61 में निहित अनुदेशों जोकि विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के हिस्से के रूप में दिनांक 01.4.2015 की सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2015-2020 द्वारा आभूषण के निर्यात संबंधी स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित की गई थी, के अनुसार विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.38 के अनुसार मूल्य वर्धन (वैल्यू एडिशन) का परिकलन किया जाएगा। न्यूनतम मूल्य वर्धन निम्नानुसार होगा:-

क्रमांक	निर्यात के मदें	न्यूनतम मूल्य वर्धन
(क)	प्लेन स्वर्ण आभूषण तथा आर्टिकल्स तथा मंगलसूत्र जैसे आभूषण जिनमें जड़ित प्रकार के आभूषणों को छोड़कर स्वर्ण तथा काले मनके (बीड्स) नकली पत्थर हों।	3.5%
(ख)	जड़ित स्वर्ण आभूषणों के सभी प्रकार तथा इनसे संबंधी वस्तुएं।	6.0% (उनके लिए जो रंगीन रत्नों पत्थरों से जड़ित हों तथा 7.0% (उनके लिए जोकि हीरे जड़ित हों)

तदनुसार, उपर्युक्त आइटमों के लिए जारी सभी अनुरोध पत्र एतद्वारा संशोधित किए गए हैं। यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(विजय प्रकाश शुक्ल)

उप विकास आयुक्त

सीपज़-सेज़, मुंबई

प्रतिलिपि,

सभी रत्न तथा आभूषण यूनिट - सीपज़-सेज़,

रत्न तथा आभूषण संघ, सीपज़,

विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़-सेज़